न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 107 सन् 2006
पंजीयन दिनांक 04.05.2006

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरुद्ध

1. कानसिंह पिता ऊंकारसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. जयसिंह पिता ऊंकारसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. छीतरसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट (वादी)

4. कल्याणसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. गोवर्धनसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत –मृतक के वजाय
   1. हरिसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. रघुवीरसिंह पिता गोवर्धनसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. सज्जनकंवर पुत्री गोवर्धनसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   4. इन्द्राकंवर पुत्री गोवर्धनसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. नारायणसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. भगवानसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
8. जगदीशसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत निवासी मेडीखेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेन्टगण (प्रतिवादी)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 29/1998 वाद निर्णय दिनांक 16.01.2002 डिक्री दिनांक 16.01.2003

उपस्थित– 1. पूरणमल स्वर्णकार –राजकीय अधिवक्ता अपीलाव्ट
2. कृष्णगोपाल व्यास– रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. छोगालाल जाट–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5/1,5/2,5/4 एवं 5/5

निर्णय **दिनांक 15.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलाव्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सुवाणिया तहसील गंगरार मे सन् 1964 मे गजसिंह पिता धुकलसिंह मुत्तबन्ना फुलसिंह राजपूत निवासी मेडीखेडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 791 रकबा 27 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि खातेदार गजसिंह ने रेस्पोडेन्ट वादी सं. 1 व 2 के पिता ऊंकारसिंह व रेस्पोडेन्ट वादी सं. 3 छीतरसिंह के पिता को 1 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि बहकर बहनामा लिखकर दिनांक 25.11.1964 को उप पंजीयक के यहां रजिस्ट्री करवाकर कृषि भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 3 छीतरसिंह के पिता को सौप दिया। तभी से उक्त कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1,2 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 3 के पिता काबिज चले आ रहे थे। उनके मरने के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। साबिक आराजी नम्बर 791 के नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 1531,1532,1533,1534,1537,1538 कुल किता 6 कुल रकबा 6.81 हैक्टेयर कायम किये गये। मोजा सुवानिया तहसील गंगरार की जमाबन्दी संवत् 2029-2032 मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि का खतौनी सं. 3 मे कृषि आराजी नम्बर 791/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खातेदार ऊंकारसिंह पिता खुमानसिंह, छीतरसिंह पिता फतहसिंह राजपूत निवासी मेडीखेडा के नाम दर्ज थी। इन्द्राज बहनामा के आधार पर इंतकाल खोला जाकर दर्ज हुआ था। वाद मे पैमाईश मे उक्त खातेदारो का नाम हटा दिया और उक्त कृषि भूमि दावे के चरण सं. 1 मे वर्णित वर्तमान आराजी नम्बर 1531 से 1534 व 1537-1538 मे मिलाकर पुनः रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। संवत् 2029-2032 की जमाबन्दी मोजा सुवानिया की खाता सं. 3 के अनुसार कृषि आराजी नम्बर 791/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का खाता पुनः रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण के पिता के नाम खोला जाकर ऊंकारसिंह के फौत हो जाने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम ऊंकारसिंह के स्थान पर उत्तराधिकारी होने के कारण खातेदार घोषित किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने कई बार तकाजा किया कि उक्त भूमि का खाता पुनः रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण के नाम खुलवा दे लेकिन उन्होने टालमटोल की है ओर कोई ध्यान नही दिया है, बल्कि इन्होने आपस मे मिलकर कुलिया जमीन को आपस मे मिलाकर बांट लेने का दावा चलाया है, जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया है। रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण के रेवेन्यू रेकार्ड से साफ है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण की कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण के नाम दर्ज नही करवाना चाह रहे है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण को वादपत्र कृषि आराजीयात का विभाजन कराने, इन्द्राज दुरस्ती कराने एवं खातेदार घोषित कराने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण तथा अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 8 प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 नियत की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की गई। उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2002 को बहस सुनी जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णित किया तथा दिनांक 16.01.2003 को डिक्री जारी की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2002 व डिक्री दिनांक 16.01.2003 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963, मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1,4,5/1,5/2,5/4,/5/5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं.7 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

राजकीय अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी 5/3 एवं प्रतिवादी सं. 6 का स्वर्गवास हो जाने से तथा उनके उत्तराधिकारीगण पूर्व मे ही पक्षकार होने से मृतक प्रतिवादीगण का नाम अनवान से पृथक किया जावे। अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाडा, इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमे कही स्पष्ट नही किया है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण की कृषि आराजीयात किस आराजी नम्बर मे गई है। तथा यह प्रमाणित नही होते हुए भी गांव के नदी,नालो से रकबा घटाने का आदेश पारित किया है। निर्णय व डिक्री की पालना मे रकबा यदि किसी नदी, नाले से कम किया जाए तो पानी के बहाव एवं आम जनता के सुखाधिकार प्रभावित होते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार मामले मे पारित निर्णय के विरूद्ध है। पत्रावली मे अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया एवं साक्ष्य प्रदर्श नही करवाये। मांगे गये अनुतोष से परे जाकर निर्णय दिया गया है। सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

से अनुतोष चाहने पर धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना आवश्यक था। सरकार के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री अवैध है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता से स्थापित विधि की अवहेलना करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो सर्वदा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने अपने पिता के द्वारा साबिक सेटलमेन्ट मे खरीदशुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 791/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जो साबिक सेटलमेन्ट मे वादीगण के पिता के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड रही है। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट वादीगण के कब्जे व काश्त मे चली आ रही थी। उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 1537 बने है जिसमे से रकबा कम करवाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपने खातेदारी मे दर्ज कराये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5/1, 5/2, 5/4, 5/5 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 व अपीलान्ट के विरूद्ध बटंवाडा इन्द्राज दुरस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील नही होते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना वादपत्र प्रमाणित होते हुए नदी, नाले की आराजीयात जो राज्यहित की होकर सार्वजनिक उपयोगी है, जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्रोदभुत नही होते हुए भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 8 के विरूद्ध बंटवाडा इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रोपर तामील नही हुए तथा दिनांक 16.01.2002 की आदेशिका मे प्रतिवादी सं. 2/5 की तामील नही होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ था। जवाबदावे मे सारे तथ्यो को प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे बिना तनकियात कायम किये बिना वादपत्र प्रमाणित मानते हुए साबिक आराजी नम्बर 790,791/1 के नवीन आराजी नम्बर 1536 के कमी रकबे मे खसरा नम्बर 1535 से रकबा 0.04 हैक्टेयर मिलाने पर भी 0.15 हैक्टेयर रकबा कम रहने के कारणनदी नाले से 0.15 हैक्टेयर घटाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आराजी नम्बर 1536 का मिलान खसरा प्रस्तुत हुआ है जिसका रकबा 0.66 हैक्टेयर है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 791/1 मीन व 790 थे। ऐसी स्थिति मे आराजी नम्बर 1535 साबिक आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नम्बर 791/1 व 790 से बनना कही प्रमाणित नही हुआ है। न ही खसरा नम्बर 1536 के रकबे का कोई भाग नदी नाले मे गया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे मोका रिपोर्ट दिनांक 27.03.98 तलब की गई। जिसमे मौके पर आराजी नम्बर 1536 की नपती की जाने से यह आराजी कानसिंह,मोतीसिंह, जयसिंह पिता ऊंकारसिंह के कब्जे मे होना व कुछ रकबे पर काश्त होकर कृषि कार्य किया जाना बताया गया है। आराजी नम्बर 1537 का रकबा 0.10 हैक्टेयर व दक्षिण दिशा का खसरा नम्बर 1536 मे मिला हुआ अंकित किया गया है जिसे नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है जो वादपत्र मे चाही गई दाद से परे होकर न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 7 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 29/1998 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय दिनांक 16.01.2002 व डिक्री दिनांक 16.01.2003 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम कर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 15.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)